एफ. सं. 9-19/2005 - एम.II
भारत सरकार
पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय
संस्कृति विभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक...............................

सेवा में,

वेतन एवं लेखाधिकारी,
संस्कृति मंत्रालय,
एन ए आई एनेक्सी भवन,
जनपथ, नई दिल्ली - 110001

विषय : राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्, कोलकाता को सहायता अनुदान (गैर-योजना) आवर्ती 2005-06 - पहली किस्त जारी होने के संबंध में।

महोदय,

मुझे महानिदेशक, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्, कोलकाता और इसके संघटक संग्रहालयों/केन्द्रों को, अनुमोदित कार्यक्रम तथा परिषद् के दैनंदिन कार्यों से सम्बंधित व्ययों को वहन करने के लिए वर्ष 2005-2006 हेतु सहायता अनुदान (गैर-योजना) आवर्ती के रूप में अनुमोदित बजट के 1/6 वें भाग, जो पहली किस्त है, के रूप में नई दिल्ली में स्थानीय चेक के माध्यम से देय 2,33,00,000/- रू. (दो करोड़ तैंतीस लाख रू. मात्र) की धनराशि के भुगतान हेतु राष्ट्रपति की स्वीकृति की सूचना देने का निदेश हुआ है। वर्ष 2003-2004 में जारी अनुदान हेतु उपयोग प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया है तथा वर्ष 2004-2005 के दौरान पिछले वित्तीय वर्ष हेतु संगठन को उपयोग प्रमाणपत्र अभी देय नहीं है। इस अनुदान हेतु उपयोग प्रमाणपत्र 12 महीनों के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है।

2. यह अनुदान निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तों के अध्यधीन है :-

(i) एन सी एस एम (समूह ''ख'', ''ग'' और ''घ'') के ऐसे कर्मचारियों और अधिकारियों, जिनकी भर्ती एवं पदोन्नति भर्ती, मूल्यांकन तथा पदोन्नति (आर ए पी) नियमावली के तहत् की जाएगी, के संबंध में वेतन एवं भत्तों तथा वित्तीय संदर्भों में किसी अन्य सेवा लाभों में वृद्धि के कारण हुए किसी व्यय का वहन इस सहायता अनुदान से नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस स्कीम के कारण होने वाले किसी अतिरिक्त व्यय का वहन एन सी एस एम द्वारा अपने संसाधनों के माध्यम से ही किया जाएगा।

(ii) प्रत्येक इकाई और परियोजना, जिसके लिए अनुदान स्वीकृत किया गया है, के लिए पृथक्-पृथक् लेखे तैयार किए जाएंगे।

(iii) लेखा परीक्षित लेखे तथा इस प्रभाव का उपयोग प्रमाणपत्र कि उपरोक्त अनुदान का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए वह स्वीकृत हुआ था, मंत्रालय को प्रस्तुत कर दिये गए हैं।

(iv) अप्रयुक्त अधिशेष, यदि कोई है की सूचना इस मंत्रालय को दी जाए जिसे वापस लौटाया जा सकता है अथवा संस्कृति मंत्रालय के अनुमोदन से भविष्य के अनुदानों के साथ समायोजित किया जा सकता है।

(V) सहायता अनुदानों की सहायता से सृजित परिसम्पत्तियों को भारत सरकार के मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन के बिना उस प्रयोजन से इतर ऋणग्रस्त होते हुए न तो बेचा जाएगा अथवा प्रयुक्त किया जाएगा जिसके लिए यह सहायता अनुदान अभिप्रेत है।

(vi) किसी भी समय संगठन के अस्तित्व में न रहने पर ऐसी परिसम्पत्तियाँ भारत सरकार को लौटा दी जाएंगी।

(vii) संगठन प्राप्त परिसम्पत्तियों के सम्बंध में निर्धारित प्रपत्र में एक पंजिका तैयार करेगा। प्रत्येक स्वीकृति के सम्बंध में एक पंजिका तैयार की जाएगी तथा इसकी प्रति वार्षिक रूप से मंत्रालय को प्रस्तुत की जाएगी।

(viii) परिषद् अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों हेतु पदों के आरक्षण के संबंध में समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी सभी अनुदेशों का कठोरता से पालन करेगी।

(xi) परिषद् सरकार की राजभाषा नीति का पूर्णतः कार्यान्वयन करेगी, अर्थात् यह राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजन हेतु प्रयोग) नियमावली, 1978 आदि का पूर्णतः अनुपालन करेगी।

(x) यह इस शर्त के अध्यधीन है कि राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् इस मंत्रालय के अनुमोदन के बिना अप्रयुक्त अधिशेष, यदि कोई है, का उपयोग नहीं करेगी।

3. स्वीकृत धनराशि आहरण एवं संवितरण अधिकारी (अनुदान) द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् के नाम चेक के माध्यम् से निकाली जाएगी, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान केन्द्र के वित्त एवं लेखाधिकारी अथवा उनके प्रतिनिधि द्वारा केनरा बैंक, नई दिल्ली के बचत खाता सं. 14325 में जमा किया जाएगा।

4. अनुदान/व्यय के पैटर्न को वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है। इस अनुदान को वित्त मंत्रालय के नियमों और सिद्धातों के अनुरूप जारी किया जा रहा है।

5. इस संबंध में होने वाला व्यय मुख्य शीर्ष 2205, मांग सं. 20, संस्कृति मंत्रालय, लघु शीर्ष - 00.107, 10-राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्, कोलकाता - 10.00.31 - सहायता अनुदान (गैर-योजना) 2005-2006 के नामे डाला जाएगा।

6. इसे दिनांक 6.5.2005 की डायरी सं. 1300/2005-आईएफडी के जरिए आई एफ डी के तथा दिनांक 13.5.2005 की प्रमाणन सं. 147/2005/पी एंड बी के जरिए पी एंड बी अनुभाग के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,

(......................................)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रति प्रेषित :

1. आहरण एवं संवितरण अधिकारी (अनुदान) को, इस स्वीकृति की दो प्रतियाँ, बिल तथा डाक टिकट लगी पावती संलग्न हैं।
2. महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व (विशेष प्रकोष्ठ) नई दिल्ली।
3. महालेखाकार, पश्चिम बंगाल, 18-रबीन्द्र सारणी, पोद्दार कोर्ट 9वाँ तल, कोलकाता - 700091
4. महानिदेशक, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्, ब्लॉक जी एन, सेक्टर-V, विधान नगर, कोलकाता - 700091 को, इस स्वीकृति पत्र में निहित निबंधन और शर्तों के संबंध में अपनी स्वीकृति भेजने के अनुरोध सहित। कृपया इस सहायता अनुदान हेतु डाक टिकट लगी रसीद तत्काल भेज दें। वर्ष 2004-2005 के दौरान जारी अनुदान के लिए लेखा परीक्षित लेखाओं और अप्रयुक्त अधिशेष सहित उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
5. वित्त अधिकारी, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्, ब्लॉक - जी एन. सेक्टर-v, विधान नगर, कोलकाता - 700091
6. निदेशक, राष्ट्रीय विज्ञान केन्द्र, भैरों रोड, प्रगति मैदान, नई दिल्ली
7. एफ ए (टी एंड सी)
8. पी एंड बी इकाई।
9. स्वीकृति फोल्डर/गार्ड फाइल।

(....................................)
अवर सचिव, भारत सरकार